

भा. वा. अ. शि. प. - वर्षा वन अनुसंधान संस्थान  
ICFRE-RAIN FOREST RESEARCH INSTITUTE

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद

Indian Council of Forestry Research and Education

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार

(Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Govt. of India)

देववन, सोताई, जोरहाट - 785010 (असम) / Deovan, Sotai, Jorhat - 785010 (Assam)



सं/No. ICFRE- RFRI/2025/F&S-1

दिनांक /Dated: as on e-sign

**कार्यालय आदेश/ OFFICE ORDER**

संस्थान में ज़रूरी सुविधाओं के सही ढंग से काम करने और समय पर उनकी देखरेख सुनिश्चित करने के लिए, यह निर्देश दिया जाता है कि इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर और वन रेंज अधिकारी अपनी-अपनी ज़िम्मेदारी वाले क्षेत्रों में सभी ज़रूरी सुविधाओं की स्थिति के बारे में योजना संपदा अधिकारी को जानकारी दें।

In order to ensure the proper functioning and timely maintenance of essential facilities within the institute, it is hereby directed that the Electrician, Plumber and Forest Range Officer shall submit a daily update on the status of all essential facilities under their respective areas of responsibility to the Estate Officer.

रिपोर्ट हर दिन, छुट्टियों के दिनों सहित, शाम 05:00 बजे तक जमा की जाएगी और इसमें ये बातें शामिल होंगी/ The report shall be submitted everyday including holidays by 05:00 pm and shall include:

1. ज़रूरी सेवाओं/सुविधाओं की स्थिति/ Status of essential services/ facilities.
2. कोई खराबी, टूट-फूट या रखरखाव से जुड़ी समस्या देखी गई हो/ Any faults, breakdown or maintenance issues observed.
3. सुधारात्मक कार्रवाई जो की गई हो या प्रस्तावित हो/ Corrective action taken or proposed.
4. कोई अन्य मामला जिस पर तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत हो/ Any other matter requiring immediate attention.

किसी आपातकाल या ऐसी स्थिति में जिस पर तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत हो, संबंधित अधिकारियों को ड्यूटी पर आना होगा और यह पक्का करना होगा कि ज़रूरी सुविधाएँ फिर से चालू हों और ठीक से काम करें; ज़रूरत पड़ने पर छुट्टियों के दिन भी ऐसा करना होगा। संपदा अधिकारी रिपोर्ट तैयार करेंगे और जहाँ भी ज़रूरी हो, आगे की ज़रूरी कार्रवाई करेंगे। In the event of an emergency or situation requiring immediate attention, the concerned officers shall report to duty and ensure that the essential facilities are restored and functioning properly, including on holidays, if required. The Estate Officer shall compile the reports and take necessary follow up action wherever necessary.

यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा और सभी संबंधित लोगों को इसका सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है। This shall come into effect with immediate effect, and all concerned are directed to ensure strict compliance.

यह निदेशक की मंजूरी से जारी किया गया है। This is issued as per the approval of Director.

(इमोटेंसु आओ, भा.व.से./ Imotemsu Ao, IFS)

प्रमुख, सुविधाएं और सेवाएं /Head, Facilities & Services

भा.वा.अ.शि.प - वर्षावन अनुसंधान संस्थान/ ICFRE-Rain Forest Research Institute

जोरहाट, असम/Jorhat, Assam

प्रति लिपि/ Copy to:

1. Shri Monoj Kumar Borah, Forest Range Officer.
2. Shri Pranjal Gogoi, Technician (Electrical)
3. Shri Sudip Biswas, Technician (Plumber)
4. The Estate Officer for information and necessary implementation.
5. IT Cell, ICFRE-RFRI, Jorhat for necessary website upload.